राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिका.) विभाग

क्रमांक प. 2(2)(35)का/क–3/शिका./2014 — जयपुर, दिनांक 5/5/14

आदेश

डॉ0 (श्रीमती) निर्मला शर्मा, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जे.के. लोन चिकित्सालय, कोटा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 139/2014 अन्तर्गत धारा 7,13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में दण्डनीय अपराध के लिये प्रथम दृष्टया लिप्त पाये गये है।

अतः राज्य सरकार राज. सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ0 (श्रीमती) निर्मला शर्मा, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जे.के. लोन चिकित्सालय, कोटा को एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।

डॉ0 (श्रीमती) निर्मला शर्मा, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जे.के. लोन चिकित्सालय, कोटा का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

(राजेश कुमार चौहान)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर को डॉ0 (श्रीमती) निर्मला शर्मा, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जे.के. लोन चिकित्सालय, कोटा के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ0 (श्रीमती) निर्मला शर्मा, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जे.के. लोन चिकित्सालय, कोटा को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद शीघ्र इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें एवं डॉ0 (श्रीमती) निर्मला शर्मा, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जे.के. लोन चिकित्सालय, कोटा को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नही छोडें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन के अवकाश पर रहते के बराबर उन्हें निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
6. डॉ0 (श्रीमती) निर्मला शर्मा, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जे.के. लोन चिकित्सालय, कोटा को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोडें।
7. कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग
8. कोषाधिकारी, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(रामस्वरूप शर्मा)
सहायक शासन सचिव